सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या – 522 राँची, गुरूवार, 3 नवम्बर, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 अक्टूबर, 2022

विषय:- नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों/ मूत्रालयों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन से झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुएनियम 245 के तहत योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने के सम्बन्ध में |

संख्या - SUDA/ SBM/ सुलभ शौचालय/31-2021-न०वि०आ०वि०/3716 --74 संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है ।

1. झारखण्ड राज्य में अवस्थित नगर निकायों में केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एवं **14**वें वित्त आयोग के माध्यम से कुल **546** यूनिट सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय, **304** यूनिट मोड्यूलर शौचालय तथा **308** यूनिट मोड्यूलर मूत्रालय का निर्माण किया गया है ।
2. शौचालय के निर्माणोंपरान्त इनके उचित संचालन एवं रख रखाव के उपरांत ही स्वच्छता सम्बंधित मापदंडों को पूर्ण करते हु एनिकाय वासियों को नागरिक सुविधा मुहैया कराई जा सकती है ।
3. उपर्युक्त वर्णित सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों तथा मोड्यूलर मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव कार्य निकाय द्वारा किया जाता रहा है । संचालन एवं रख रखाव हेतु वर्तमान में अधिकतर नगर निकायों द्वारा अपनाये जा रहे पारंपरिक तरीकों यथा निकाय के कर्मचारियों द्वारा, तीसरे पक्ष आदि से शौचालयों का उचित रख रखाव नहीं हो पा रहा है। संचालन एवं रख रखाव के अभाव में नवनिर्मित शौचालय निकायों के लिए **Durable Community Assets** के स्थान पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ बन कर रह जाने की संभावना है ।
4. वर्तमान में निकायों के पास मानव बल की कमीए सीमित सफाई कर्मचारियों के दैनिक कार्य में प्राथमिकता अनुसार अतिरिक्त व्यस्तता रहने एवं शौचालय संचालन एवं स्वच्छता के विषयों पर विशेषज्ञ अहर्ता के अभाव मेंए सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय, मोड्यूलर शौचालय तथा मोड्यूलर मूत्रालय के संचालन एवं रख रखाव में समस्या उत्पन्न हो रही है ।
5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पूरे राज्य अंतर्गत सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों तथा मोड्यूलर मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव हेतु एक अनुभवी एवं विशेषज्ञ अहर्ता प्राप्त संस्था के माध्यम से कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन के पास शौचालयों के सफल संचालन का वृहत कार्य अनुभव है। संस्था द्वारा झारखण्ड राज्य समेत पुरे देश में बड़ी संख्या में शौचालयों, स्नानागारों आदि का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। झारखण्ड राज्य के कुछ नगर निकायों द्वारा भी पूर्व में म्युनिसिपल बोर्ड के माध्यम से नामित करते हु ए अपने अपने क्षेत्र के सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के संचालन एवं रख रखाव हेतु मासिक दर तय करते हु एसुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन से एकरारनामा किया गया है| परन्तु अधिकांश निकायों में अब भी पुराने पारंपरिक व निष्प्रभावी रूप से शौचालयों का संचालन हो रहा है ।
6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं निकाय स्तर पर एक महत्वपूर्ण नागरिक सुविधा के रूप में केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अतर्गत निर्मित सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों तथा मोड्यूलर मूत्रालयों के उचित रख-रखाव एवं कुशल संचालन की तत्काल आवश्यकता को देखते हु ए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन को मनोनयन **(Nomination)** के आधार पर चयनित करते हु ए पुरे राज्य अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में अवस्थित सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों एवं मोड्यूलर शौचालयों/ मूत्रालयों के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य पांच वर्ष हेतु आवंटित किया जा सकता है। इसके उपरांत संचालन एवं रख-रखाव कार्य संतोषजनक पाए जाने पर नगर निकाय द्वारा अगले पांच वर्षो के लिए अवधि विस्तार दिया जा सकता है। इस आलोक में निकाय स्तर पर सुलभ इंटरनेशनल के साथ द्विपक्षीय एकरारनामा की कार्रवाई निष्पादित की जाएगी एवं संचालन एवं रख रखाव हेतु सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों को दो वर्गों यथा **Pay and Use** एवं निःशुल्क में विभाजित किया जायेगा ।

7. **Pay and Use** श्रेणी के शौचालयों हेतु निकाय स्तर से सुलभ इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन को संचालन एवं रख रखाव हेतु किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी। ऐसे शौचालयों का निर्धारण निकाय एवं सुलभ इंटरनेशनल द्वारा एकरारनामा से पूर्व संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर किया जायेगा
8. निःशुल्क शौचालयों के संचालन एवं रख रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल द्वारा समर्पित दर को तर्कसंगत पाते हुए निकाय स्तर से निम्न तालिका अनुसार मासिक दर **(15% Supervision Charge** सहित) की राशि देय होगी :

क्र०	श्रेणी	मासिक दर/ शौचालय(राशि रु० में)
1	सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय (धनबाद को छोड़ कर)	**19345/-**
2	धनबाद नगर निगम अंतर्गत सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय	**10057/-**
3	मोड्यूलर शौचालय	**5851/-**
4	मोड्यूलर मूत्रालय	**5234/-**

9. सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों एवं मोडुलर शौचालयों/मूत्रालयों के संचालन एवं रख-रखाव कार्य में होने वाले व्यय का भुगतान निकाय द्वारा नागरिक सुविधा मद/ आन्तरिक श्रोत से किया जायेगा । शौचालयों एवं मूत्रालयों में जल एवं बिजली की व्यवस्था तथा इस पर आने वाले व्यय का वहन निकाय द्वारा किया जायेगा ।
10. सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों एवं मोडुलर शौचालयों/ मूत्रालयों से प्राप्त राजस्व/ आय **(Pay and Use** हेतु यूजर चार्ज को छोड़ कर) पर निकाय का सम्पूर्ण अधिकार होगा ।
11. वर्णित परिपेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयोंए मोड्यूलर शौचालयों तथा मोड्यूलर मूत्रालयों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम **235** के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम **245** के तहत कार्य हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लिए जाने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **10-10-20222** को मद संख्या **-11** के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 522 – 50